## दिल्ली विधान समा सचिवालय समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी वृहस्पतिवार, 28 अक्तूबर 2010 / कार्तिक 6, 1932 (शक)

संख्या-94

## सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान समा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली, जिला नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: —

'मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्व श्री रमेश विधूडी, श्री साहब सिंह चौहान, श्री मनोज शौकीन एवं श्री एस. सी.एल. गुप्ता को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के तहत प्रथम बैरीकेड, पुलिस थाना संसद मार्ग, के सामने से दिनॉक 22.10.2010 को अपराहन 12. 30 बजे नज़रबंद किया गया।"

उन्हे उसी दिन अर्थात दिनॉक 22.10.2010 को अपराह्न 12.45 बजे रिहा कर दिया गया।"

> पी.एन.मिश्रा सचिव

## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Thursday, 28<sup>th</sup> October, 2010/ Kartik 6, 1932(Saka)

No. 94

## Sub: <u>DETENTION AND RELEASE OF MEMBER</u>

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from ACP, Parliament Street, New Delhi.

"I have the honour to inform you that Hon'ble Members of Legislative Assembly. Delhi, Shri Ramesh Bidhuri, Shri Sahab Singh Chauhan, Shri, Manoj Shokeen and S.C.L. Gupta were detained u/s 65 of Delhi Police Act from Police Station Parliament Street, at 1230 Hrs on 22.10.2010.

He was released at 1245 Hrs from the same place on the same date."